

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग



क्रमांक : प.1(1)पीए/वित्त/बीमा/2017

जयपुर, दिनांक : 19.11.2020

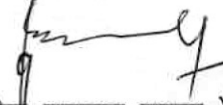
परिपत्र

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.02.2013 की अनुपालना में राज्य बीमा एवम् भविष्य निधि सेवा के अधिकारियों को उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों का अवलोकन कराया जाता है। अवलोकन के पश्चात् संबंधित अधिकारी उसके प्रतिवेदन में की गई ग्रेडिंग/मूल्यांकन से सन्तुष्ट नहीं है तो वह अपना अभ्यावेदन 15 दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यावेदन पर विभागाध्यक्ष/कैंडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर संबंधित अधिकारी अपने प्रकरण को अपीलीय बोर्ड में रखने हेतु अपील कर सकता है।

राज्य बीमा एवम् भविष्य निधि सेवा के अधिकारियों के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाता है :-

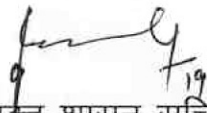
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त	अध्यक्ष
2	शासन सचिव, वित्त (बजट)/शासन सचिव, वित्त (राजस्व) (अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा नामांकित)	सदस्य
3	विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)	संयोजक

राज्यपाल की आज्ञा से,


(वेव प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव, 19/11/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)/वित्त (बजट)।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, 19/11/2020